कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-26.12.2024

फर्जी ट्राई अधिकारी/सी.बी.आई. अधिकारी बनकर डिजिटल हाउस अरेस्टिंग कर साइबर ठगी करने वाले *अन्तराष्ट्रीय चाइनीज गैंग का मास्टर मांइड PROXY* गिरफ्तार, उनके कब्जे से मोबाइल व नकदी बरामद।

दिनाक 04.12.2024 को वादी श्री अनुज कुमार यादव पुत्र स्व0 इन्द्रदेव यादव निवासी माधव नगर कालोनी, सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा थाना हाजा पर उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि साइबर अपराधियों द्वारा उनके साथ **फर्जी ट्राई अधिकारी/सी.बी.आई. अधिकारी बनकर उनकी डिजिटल हाउस अरेस्टिंग कर** उनके साथ कुल करीब 98 लाख रुपये की साइबर ठगी कर ली गयी है। जिसपर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 124/2024 धारा 308(2), 318(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. व 66 डी आई.टी.एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना विजय कुमार यादव द्वारा की जा रही है।

उक्त प्रकरण के दृष्टिगत श्री मोहित अग्रवाल पुलिस आयुक्त कमि0 वाराणसी एवं श्री प्रमोद कुमार पुलिस उपायुक्त अपराध कमि0 वाराणसी के निर्देशन मे तथा सुश्री श्रुति श्रीवास्तव अपर पुलिस उपायुक्त कमि0 वाराणसी व श्री गौरव कुमार सहायक पुलिस आयुक्त कमि0 वाराणसी के नेतृत्व मे एक टीम का गठन कर उक्त घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम मे वाराणसी से घटना में सलिप्त डिजिटल हाउस अरेस्टिंग कर साइबर ठगी करने वाले अन्तराष्ट्रीय **चाइनीज गैंग का मास्टर मांइड PROXY को** गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोबाइल फोन, व नकदी बरामद की गयी है।

अपराध करने का तरीका-

साइबर अपराधियों द्वारा सर्वप्रथम फर्जी ट्राई अधिकारी/सी.बी.आई. अधिकारी बनकर लोगों को उनक मोबाइन नं0 पर वर्चुवल नं0 से काल कर उनके नाम पर फर्जी सिम के जारी होने तथा उस सिम का अवैध गतिविधियों में लिप्त होने का झांसा देते हुए उनकी डिजिटल हाउस अरेस्टिंग कर वेरीफिकेशन के नाम पर तथाकथित आर.बी.आई. के बैंक खातो में पैसा ट्रान्सफर कर लिया जाता है। उन पैसो को साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी गेमिंग एप्लीकेशन में यूजर्स को पेआउट के नाम पर ट्रान्सफर कर दिया जाता है। इस तकनीकि में साइबर अपराधियों द्वारा ई.सी.एस. व ई.आई.पी. सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए ओटीपी प्राप्त करने के लिए एसएमएस फार्डरवर एप्लीकेशन जैसे ड्रैगन एसएमएस आदि का प्रयोग किया जाता है। तथा अपनी पहचान छिपाने के उदेश्य से इस तरह की घटना में फर्जी म्यूल बैंक खातो, फर्जी सिम कार्ड व डिजिटल फुटप्रिंट से बचने के लिए वर्चुवल मशीन का प्रयोग किया जाता है। गिरफ्तार अभियुक्त निजाम अहमद उर्फ प्राक्सी के द्वारा अपने नीचे तीन से चार लेयर मे एजेन्ट रखा गया है जिनसे बैंक मे खाता खुलवाना , उन बैंक खातों मे इन्टरनेट बैंकिग आदि बनाना तथा खाताधारको को विभिन्न राज्यों मे अपनी सुविधानुसार ले जाकर उनके बैंक खातों की टेस्टिंग कराना जैसे आदि कार्य कराया जाता है उपरोक्त के माध्यम से एक्सेस प्राप्त करने के पश्चात अभियुक्त प्राक्सी के द्वारा अपने विदेशी साथियों के साथ मिलकर वर्चुअल मशीन से साइबर ठगी के पैसों को गेमिंग एप्लीकेशन मे ट्रान्सफर कर दिया जाता है।

पूर्व मे गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. संदीप कुमार पुत्र एस करन लाल निवासी- गौशालापुरवा, थाना रामकोटी, जनपद सीतापुर, उ0प्र0,
2. अभिषेक जायसवाल पुत्र कृष्ण जनम जायसवाल निवासी- चकिया, जनपद- चन्दौली, उ0प्र0,
3. विकास सिंह पटेल पुत्र दिनेश कुमार सिंह पटेल निवासी हातीपुर थाना चुनार, जनपद- मिर्जापुर, उ0प्र0,
4. कुनाल सिंह पटेल पुत्र शिवशंकर निवासी- मगरहा थाना चुनार, जनपद मिर्जापुर, उ0प्र0,
5. संजय यादव पुत्र स्व0 चन्द्रदेव यादव निवासी – ग्राम लालपुर, पो0 जलालपुर, जनपद जौनपुर, उ0प्र0,

6.हर्ष मिश्रा पुत्र स्व0 अनुराग मिश्रा निवासी ग्राम फूलहा, थाना रामगढ़, थाना चुनार, जनपद मिर्जापुर, उ0प्र0
7. नितिन सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट खानपुर, थाना चुनार, जनपद मिर्जापुर, उ0प्र0
8. इकबाल खान पुत्र स्व0 जलील अहमद निवासी- म0नं0 23/7 कबीर नगर कालोनी, दूर्गाकुंड थाना भेलुपुर, जनपद कमि0 वाराणसी, उ0प्र0
9. मो0 आदिल खान पुत्र श्री नजरुद्दीन खान ग्राम बेलबीर पोस्ट व थाना चुनार, जनपद मिर्जापुर, उ0प्र0
10. दिनेश कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम पूरेलला थाना नेवढिया जनपद जौनपुर उ0प्र0 उम्र करीब 32 वर्ष।
11- राजेश चैधरी पुत्र स्व0 केदार चैधरी निवासी गढा सैनी थाना बक्सा जनपद जौनपुर उ0प्र0 उम्र करीब 44 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

निजाम अहमद पुत्र पुत्तर अली निवासी कोल्हुआ चिलवरिया थाना पयागपुर जनपद बहराइच उ0प्र0 उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 0124/2024 धारा- 308(2), 318(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 317(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व 66डी0 आई.टी.एक्ट,थाना साइबर क्राइम पुलिस, कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

Android Mobile- 02 अदद ।
नकद धनराशि- 1740/- रूपया

गिरफ्तारी/सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

साइबर क्राइम थाना कमिश्नरेट वाराणसी	
• निरीक्षक विपिन कुमार • निरीक्षक विजय कुमार यादव • उ0नि0 संजीव कन्नौजिया • उ0नि0 सतीश सिंह • उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार • उ0नि0 आलोक रंजन सिंह • हे.का./क.आ. श्याम लाल गुप्ता • का0 चन्द्रशेखर यादव	• का0 अवनीश सिंह • का0 अंकित प्रजापति • का0 पृथ्वी राज सिंह • का0 अनिल कुमार मौर्य • का0 ड्रा0 विजय कुमार

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, अपराध
कमिश्नरेट वाराणसी।